राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 78 / 2022 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी – एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कार्यालय–321, एस एम लोढा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल, उदयपुर	**बनाम**	1. धनराज नायक पुत्र दशरथ नायक निवासी ग्राम रघुनाथपुरा, ग्राम पंचायत बासेंडा, तहसील फुलियाकलां, जिला भीलवाड़ा 2. श्रीमती हीरा देवी पत्नी धनराज नायक निवासी ग्राम रघुनाथपुरा, ग्राम पंचायत बासेंडा, तहसील फुलियाकलां, जिला भीलवाड़ा
–– प्रार्थी		––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी– श्री प्रखर मांडावत।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक : 14.10.2022

प्राधिकृत अधिकारी, एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कार्यालय–321, एस एम लोढा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल, उदयपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी, जिसमें अप्रार्थी को 3,00,000/– रूपये का ऋण दिनांक 29.09.2019 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति – श्री धनराज नायक पुत्र दशरथ नायक की सम्पत्ति जो पट्टा संख्या 33, बुक संख्या 145, मिसल संख्या 36, संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.03.2019 ग्राम रघुनाथपुरा, ग्राम पंचायत बासेंडा, तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभम 680.22 वर्ग फीट है (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 02.03.2021 तक कुल बकाया ऋण की राशि 3,23,200/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 06.02.2021 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।